

अनुबंध-III
(प्ररूप 6 के लिए)

घोषणा*

(पहली बार नया पंजीकरण चाहने वाले 21+आयु-समूह के निर्वाचक के लिए)

मैं,, पुत्र/पुत्री/पत्नी

निवासी

निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

मैंने निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकरण के लिए आवेदन किया है क्योंकि मेरा नाम भारत में कहीं भी निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है।

2. मुझे विगत में किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में किसी भी समय कोई भी निर्वाचक फोटो पहचान कार्ड (एपिक) जारी नहीं किया गया है।

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

*(निर्वाचक नामावली को तैयार/पुनरीक्षित करने के संबंधित मामलों में मिथ्या घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 31 तथा भारतीय दण्ड संहिता के उपबंधों के अधीन एक दण्डनीय अपराध है)